16/08/2019

वकील अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट के परिवार व पशुधन के एक मात्र जीविकोपार्जन की भूमि उक्त खसरा नंबर 625/2016 की भूमि है। जबकि रेस्पोडेन्ट की कोई सीमेंट कम्पनी किसी भी ग्राम में स्थापित नही है न ही संचालित है। मात्र कयास के आधार पर एवं प्रस्तावित होने के आधार पर अपीलांट की भूमि सबडेयरी परपज हेतु अवाप्त करने हेतु अल्ट्राटेक सीमेंट ने गलत व मिथ्या प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक पक्षकार रिमी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। एवं मृतक पक्षकार के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया एवं मृतक पक्षकार के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक रिमी को न तो पक्षकार बनाया गया एवं न ही सुनवाई बाबत कोई नोटिस दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक पक्षकार के विरूद्ध पारित निर्णय शून्य की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.07.2019 के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट के उजर को ध्यान में रखते हुए अगर पत्रावली रिमांड की जाती है, तो इससे रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है। अत उक्त पत्रावली रिमांड की जाकर वर्तमान अपीलांट का पाबंद किया जावे कि वह माननीय जिला कलक्टर के समक्ष 30 दिन के अंदर प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखे। तथा उक्त आवेदन के संबध में माननीय राजस्व मंडल के द्वारा उक्त आवेदन को जल्द निस्तारण करने हेतु पारित दिशा निर्देशो की पालना हो सके।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक पक्षकार रिमी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। एवं मृतक पक्षकार के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया एवं मृतक पक्षकार के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक रिमी के वारिसान यानि अपीलांटगण को न तो पक्षकार बनाया गया एवं न ही सुनवाई बाबत कोई नोटिस दिया गया। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक पक्षकार के विरूद्ध पारित निर्णय शून्य की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये मृतक पक्षकार के विरूद्ध जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय मे उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व विविध प्ररण संख्या 87/17 में पारित निर्णय दिनांक 26.03.2019 अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को सुनवाई का पूर्णतया अवसर दिया जाकर पुन नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। अपीलांट को पाबंद किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली